एलआईसी
जीवन लक्ष्य
विक्रय विवरणिका

एलआईसी का जीवन लक्ष्य (UIN: 512N297V03)
(एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना)

एलआईसी का जीवन लक्ष्य एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना है, जिसमें सुरक्षा के साथ बचत का संयोजन है। यह योजना पॉलिसीधारक की परिपक्वता से पहले किसी भी समय दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में मुख्य रूप से बच्चों के हितलाभ के लिए, वार्षिक आय, जिससे परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिल सकती है और परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि का लाभ प्रदान करती है, चाहे पॉलिसीधारक जीवित हो या नहीं।

यह योजना लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, ब्रोकरों और बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑनलाइन खरीदी जा सकती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- इस योजना में सुरक्षा और बचत का प्रावधान है।
- किस्तों में हितलाभ के भुगतान का विकल्प
- राइडर हितलाभों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान से राइडर हितलाभों का चयन करके बीमा–सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

1. पात्रता संबंधी शर्तें और प्रतिबंध:

ए	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	18 वर्ष (पिछले जन्मदिन पर)
बी	प्रवेश के समय अधिकतम आयु	50 वर्ष (निकटतम जन्मदिन पर)
सी	न्यूनतम परिपक्वता आयु	31 वर्ष (निकटतम जन्मदिन पर)
डी	अधिकतम परिपक्वता आयु	65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन पर)
ई	न्यूनतम पॉलिसी अवधि	13 वर्ष
एफ	अधिकतम पॉलिसी अवधि	25 वर्ष
जी	प्रीमियम भुगतान अवधि	(पॉलिसी की अवधि – 3) वर्ष
एच	न्यूनतम मूल बीमा राशि	रू. 2,00,000

आई	अधिकतम मूल बीमा राशि	जोखिमांकन निर्णय के अधीन, कोई सीमा नहीं* (*प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुमत अधिकतम मूल बीमा राशि बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिमांकन नीति के अनुसार जोखिमांकन निर्णय के अधीन होगी।)
जे	मूल बीमा राशि गुणक	मूल बीमा राशि नीचे निर्दिष्टानुसार राशियों के गुणकों में होगी:

मूल बीमा राशि की सीमा	बीमा राशि गुणक
2,00,000 रूपए से 4,00,000 रूपए तक	रू. 10,000
4,00,000 रूपए से अधिक	रू. 50,000

जोखिम कवर आरंभ होने की तिथि: इस योजना के अंतर्गत, जोखिम की स्वीकृति की तिथि से जोखिम कवर तुरंत आरंभ हो जाएगा।

2. हितलाभ:

ए. मृत्यु हितलाभ:

पॉलिसी अवधि के दौरान निर्धारित परिपक्वता तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, यानी सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, **मृत्यु हितलाभ**, जिसे "**मृत्यु पर बीमा राशि**" के रूप में परिभाषित किया गया है, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, देय होगा।

जहाँ "**मृत्यु पर बीमा राशि**" को निम्नांकित में से अधिकतम के रूप में परिभाषित किया गया है:

- वार्षिक प्रीमियम की 7 गुना या
- मूल बीमा राशि की 110% राशि, जो परिपक्वता की तिथि पर देय होगी और मूल बीमा राशि के 10% के बराबर वार्षिक आय हितलाभ, जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तिथि के साथ या उसके बाद पड़ने वाली पॉलिसी की वर्षगाँठ से लेकर परिपक्वता की तिथि से पहले पड़ने वाली पॉलिसी की वर्षगाँठ तक देय होगा।

जहाँ,

(i) "**वार्षिक प्रीमियम**" एक वर्ष में देय प्रीमियम होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग शामिल नहीं होंगे, और

(ii) **"कुल भुगतान की गई प्रीमियम"** का अर्थ मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग है, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं हैं, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया हो।

मृत्यु हितलाभ में शामिल निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, परिपक्वता की नियत तिथि पर देय होगा।

ऊपर परिभाषित मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

बी. परिपक्वता हितलाभ:

बीमित व्यक्ति के पॉलिसी अवधि तक जीवित रहने पर, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** के साथ निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, देय होगा। जहाँ **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** मूल बीमा राशि के बराबर है।

सी. हितलाभ में भागीदारी:

यह पॉलिसी निगम के लाभों में सहभागी होगी और निगम के अनुभव के अनुसार घोषित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस पाने की अधिकारी होगी, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

किसी पॉलिसी, जो चालू है, के अंतर्गत मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी परिपक्वता की तिथि तक लाभों में सहभागी बनी रहेगी और संपूर्ण निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, परिपक्वता की नियत तिथि पर देय होगा। इसलिए, पॉलिसी के अंतर्गत साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, परिपक्वता की नियत तिथि पर देय होगा, चाहे बीमित व्यक्ति जीवित रहे या नहीं।

यदि प्रीमियम का भुगतान विधिवत नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी भावी लाभों में सहभागी नहीं रह जाएगी, चाहे पॉलिसी ने चुकता मूल्य प्राप्त कर लिया हो या नहीं।

हालाँकि, अनुग्रह अवधि के दौरान मृत्यु होने पर पॉलिसी को चालू माना जाएगा।

वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में साधारण प्रत्यावर्ती बोनस घोषित किया जाएगा। घोषित होने के बाद, साधारण प्रत्यावर्ती बोनस निगम द्वारा घोषित नियमों और शर्तों पर योजना के गारंटीड लाभों का हिस्सा बन जाते हैं।

पॉलिसी का अभ्यर्पण कर दिए जाने की स्थिति में, अभ्यर्पण की तिथि पर लागू निहित बोनसों का अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा।

इस पॉलिसी के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस भी उस वर्ष घोषित किया जा सकता है, जब पॉलिसी के परिणामस्वरूप मृत्यु या परिपक्वता

के आधार पर दावा होता है, जो ऐसी दरों और शर्तों पर होगा, जैसा कि निगम द्वारा घोषित किया जा सकता है। चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस देय नहीं होगा।

बीमांकिक जांच से प्राप्त अधिशेष राशि में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

3. उपलब्ध विकल्प:

I. राइडर हितलाभ:

इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नलिखित तीन वैकल्पिक राइडर (या इनके संशोधित संस्करण) उपलब्ध होंगे। हालाँकि, पॉलिसीधारक द्वारा नीचे वर्णित पात्रता के अधीन एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और दिव्याँगता हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर और/या शेष राइडर में से किसी एक को चुना जा सकता है:

i) एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु और दिव्याँगता हितलाभ राइडर (यूआईएन: 512B209V02)

यह राइडर मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय किसी भी लागू पॉलिसी के अंतर्गत चुना जा सकता है, बशर्ते कि मूल योजना और राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान हितलाभ बीमासुरक्षा उपलब्ध रहेगी। यदि यह राइडर चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना के कारण होने वाली दुर्घटनावश दिव्याँगता (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर) की स्थिति में, 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों में दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के लिए भविष्य की प्रीमियमों के साथ-साथ मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि के हिस्से के लिए प्रीमियम जो दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर है, छूट दी जाएगी।

ii) एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (यूआईएन:512B203V03)

यह राइडर मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय चालू पॉलिसी के अंतर्गत चुना जा सकता है, बशर्ते कि मूल योजना की बकाया प्रीमियम के साथ-साथ राइडर की भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान हितलाभ बीमासुरक्षा उपलब्ध रहेगी। यदि यह राइडर चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी।

iii) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर (यूआईएन: 512B210V02)

यह राइडर केवल पॉलिसी के प्रारंभ होने के समय ही उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा–सुरक्षा पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर टर्म राइडर बीमा राशि के बराबर राशि देय होगी।

सभी जीवन बीमा राइडरों के अंतर्गत प्रीमियम मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगी।

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। अन्य सभी राइडरों के अंतर्गत मिलने वाला कोई भी हितलाभ मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त राइडरों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

II. <u>किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्प:</u>

इस विकल्प के अंतर्गत, बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में देय लागू एकमुश्त राशि, जो चालू या चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता की तिथि पर देय होती, एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चुनी गई अवधि में किस्तों में प्राप्त की जा सकती है। इस विकल्प; मृत्यु होने की स्थिति में देय एकमुश्त राशि के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, का प्रयोग अपने जीवनकाल के दौरान केवल बीमित व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात् शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

यह विकल्प बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय वार्षिक आय हितलाभ के लिए लागू नहीं होगा।

किस्तों का भुगतान वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जैसा कि भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन चुना गया हो:

किस्तों में भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रू. 5,000/-
त्रैमासिक	रू. 15,000/-
अर्धवार्षिक	रू. 25,000/-
वार्षिक	रू. 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार किस्त की न्यूनतम राशि देने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावा राशि का केवल एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान आरंभ होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्ष के अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल प्रति वर्ष में 2% घटाकर उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्ष का अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल प्रति वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा। तदनुसार, 1 मई, 2024 से आरंभ होकर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष प्रभावी दर होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए, बीमाधारक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी चालू रहने के दौरान इस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है, जो किस्त भुगतान की अवधि और शुद्ध दावा राशि निर्दिष्ट करता है जिसके लिए इस विकल्प का प्रयोग किया जाना है। तब नामित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार मृत्यु दावा राशि का भुगतान किया जाएगा और नामित व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

III. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए):

निपटान विकल्प किसी चालू और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी गई अवधि में किस्तों में परिपक्वता हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प है। यह विकल्प बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता आय के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए चुना जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान की विभिन्न विधाओं के चयन के आधार पर लिए न्यूनतम

किस्त राशि के अधीन वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से भुगतान किया जाएगा, जो निम्नानुसार है:

किस्तों में भुगतान की विधि	**न्यूनतम किस्त राशि**
मासिक	रू. 5,000/-
त्रैमासिक	रू. 15,000/-
अर्धवार्षिक	रू. 25,000/-
वार्षिक	रू. 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि देने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावे की राशि का केवल एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान आरंभ होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि जानने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्ष के अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल प्रति वर्ष में से 2% घटाकर उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्ष का अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल प्रति वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा। तदनुसार, 1 मई, 2024 से आरंभ होकर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त की राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष प्रभावी दर होगी।

परिपक्वता हितलाभ के बदले में निपटान विकल्प का प्रयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति को परिपक्वता दावे की नियत तिथि से कम से कम 3 महीने पहले किस्तों में शुद्ध दावा राशि के भुगतान का विकल्प चुनना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि पर किया जाएगा और उसके बाद, बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई किस्त भुगतान विधि के आधार पर, परिपक्वता की तिथि से हर महीने या तीन महीने या छह महीने या सालाना, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान प्रारंभ होने के बाद:

i. यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता हितलाभ के बदले में निपटान विकल्प का प्रयोग किया है, इस विकल्प को वापस लेना चाहता है तथा बकाया किस्तों को कम करना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर ही इसकी अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में, निम्न में से जो अधिक हो, एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा तथा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी:

- सभी भावी देय किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (मूल राशि, जिसके लिए निपटान विकल्प का प्रयोग किया गया था) में से (पहले से भुगतान की जा चुकी कुल किस्तों का योग) घटाकर प्राप्त हुई राशि।

ii. भविष्य की किस्त भुगतानों में छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली लागू ब्याज दरें वार्षिक प्रभावी दर होंगी जो 10 वर्ष के अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल प्रति वर्ष से अधिक नहीं होंगी; जहाँ 10 वर्ष का अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल प्रति वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा, जिसके दौरान निपटान विकल्प आरंभ किया गया था। तदनुसार, 1 मई, 2024 से लेकर 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान आरंभ किए गए सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भावी किस्तों में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 7.07% प्रति वर्ष होगी।

iii. परिपक्वता तिथि के बाद निपटान विकल्प का प्रयोग करने वाले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामिती को बकाया किस्तों का भुगतान जारी रहेगा तथा नामिती द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

4. प्रीमियम का भुगतान:

प्रीमियम का भुगतान, प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक विधि से (केवल एनएसीएच के माध्यम से) या पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान वेतन कटौती के माध्यम से नियमित रूप से किया जा सकता है।

5. अनुग्रह अवधि:

वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की अनुग्रह अवधि और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की अनुग्रह अवधि भुगतान न हुई पहली प्रीमियम की तिथि से उपलब्ध होगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम बीमा–सुरक्षा के साथ चालू माना जाएगा। यदि अनुग्रह अवधि के दिनों की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि राइडर प्रीमियम पर भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय है।

6. नमूने हेतु उदाहरणात्मक प्रीमियमः

मानक जीवन के लिए 2 लाख रूपए की मूल बीमा राशि के लिए उदाहरण के रूप में नमूना वार्षिक प्रीमियम (रूपए में) निम्नानुसार होगा:

(राशि रूपए में)

आयु/अवधि (वर्षों में)	13 (वर्षों में) (पीपीटी = 10)	15 (वर्षों में) (पीपीटी = 12)	20 (वर्षों में) (पीपीटी = 17)	25 (वर्षों में) (पीपीटी = 22)
20	20217	16670	11711	9006
30	20286	16758	11858	9222
40	20678	17209	12495	10074
50	22030	18698		

उपरोक्त प्रीमियम में कर शामिल नहीं है।

7. छूट:

विधि छूट:

वार्षिक विधि – सारणीबद्ध प्रीमियम का 2%

अर्धवार्षिक विधि – सारणीबद्ध प्रीमियम का 1%

त्रैमासिक, मासिक और वेतन कटौती – शून्य

उच्च बीमा राशि छूट (प्रीमियम पर):

मूल बीमा राशि (बीएसए)	छूट (रु.)
रु. 2,00,000 से रु. 5,00,000 से कम	शून्य
रु. 5,00,000 से रु. 10,00,000 से कम	4.00%o बी.एस.ए.
रु. 10,00,000 और उससे अधिक	5.00%o बी.एस.ए.

8. पुनर्चलनः

अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान न किए जाने की स्थिति में, पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। किसी कालातीत पॉलिसी को भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलित किया जा सकता है। पुनर्चलन सभी बकाया प्रीमियम (प्रीमियमों) के

साथ–साथ ऐसी दर पर ब्याज (अर्ध–वार्षिक चक्रवृद्धि वाली) के भुगतान पर जैसा कि निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जा सकती है, तथा पहले से उपलब्ध सूचना, दस्तावेजों और रिपोर्टों और इस संबंध में पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा ऐसी अतिरिक्त सूचना प्रदान किए जाने के आधार पर बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि पर प्रभावी होगा, यह पुनर्चलन के समय निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार माँगी जा सकती है।

निगम बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा, जब उसे निगम द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत कर लिया जाएगा तथा पुनर्चलन रसीद जारी कर दी जाएगी।

1 मई से 30 अप्रैल तक हर 12 महीने की अवधि के लिए इस उत्पाद के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक में 3% जोड़कर उससे, या निगम के असंबद्ध, सहभागी कोष पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उससे, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.50% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक होगी।

पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

यदि राइडर(रों) के पुनर्चलन का विकल्प चुना जाता है, तो उस पर केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार किया जाएगा, अलग से नहीं।

9. चुकता पॉलिसी:

यदि एक पूर्ण वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है, तथा उसके बाद की किसी भी आगामी प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ, पहली भुगतान न की गई प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएंगे तथा कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया है, तथा उसके बाद की किसी भी प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया जाता है, तो पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने पर, पॉलिसी पूरी तरह से शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक चुकता पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी।

चुकता पॉलिसी जिसे ''मृत्यु चुकता बीमा राशि'' कहा जाता है, के अंतर्गत मृत्यु की स्थिति में देय हितलाभ निम्नांकित राशि के बराबर होगा:

- मूल बीमा राशि का 110% गुणित वह कुल अवधि, जिसके लिए पहले ही प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है और वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी, के अनुपात का गुणनफल, जो कि परिपक्वता की तिथि पर देय होगा; और

- न्यूनकृत आय हितलाभ, अर्थात मूल बीमा राशि का 10% गुणित वह कुल अवधि, जिसके लिए पहले ही प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है और वह अधिकतम अवधि जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी, का गुणनफल, बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तिथि के साथ या उसके बाद आने वाली पॉलिसी की वर्षगांठ से लेकर परिपक्वता की तिथि से पहले आने वाली पॉलिसी की वर्षगाँठ तक देय होगी।

निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, भी परिपक्वता की नियत तिथि पर देय होगा।

यह मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **परिपक्वता पर बीमा राशि** को घटाकर ऐसी राशि कर दिया जाएगा जिसे **''परिपक्वता चुकता बीमा राशि''** कहा जाता है और यह राशि **परिपक्वता पर बीमा राशि** गुणित वह कुल अवधि जिसके लिए पहले ही प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी, के गुणनफल के बराबर होगी। पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, के साथ परिपक्वता चुकता बीमा राशि होगी।

चुकता पॉलिसी भावी लाभों में प्रतिभागिता करने की अधिकारी नहीं होगी। हालाँकि, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, न्यूनकृत चुकता पॉलिसी से जुड़े रहेंगे और केवल परिपक्वता की तिथि पर देय होंगे।

यदि पॉलिसी कालातीत स्थिति में होती है, तो राइडर कोई चुकता मूल्य प्राप्त नहीं करते हैं और राइडर हितलाभ लागू नहीं होते हैं।

10. अभ्यर्पण:

पॉलिसी को पहले पॉलिसी वर्ष के पूर्ण होने के बाद अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम चुकाई गई हो। हालाँकि,

पॉलिसी कम से कम दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियम के भुगतान पर गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी और पहले पॉलिसी वर्ष के पूर्ण होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। चालू या चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, उसके बराबर अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करेगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कुल भुगतान की गई प्रीमियम (अतिरिक्त प्रीमियम, कर, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया है, और राइडर (राइडरों), यदि इन्हें चुना गया है, के लिए प्रीमियम को छोड़कर) गुणित भुगतान की गई कुल प्रीमियमों पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य गुणक के गुणनफल के बराबर होगा। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य गुणक उस पॉलिसी अवधि और पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे, जिसमें पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जाता है और वे नीचे निर्दिष्टानुसार होंगे:

भुगतान की गई कुल प्रीमियम पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य गुणक													
	पॉलिसी अवधि--->												
पॉलिसी वर्ष	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%	52.31%	52.14%	52.00%	51.88%	51.76%
9	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%	54.62%	54.29%	54.00%	53.75%	53.53%
10	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%	56.92%	56.43%	56.00%	55.63%	55.29%
11	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%	59.23%	58.57%	58.00%	57.50%	57.06%
12	90.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%	61.54%	60.71%	60.00%	59.38%	58.82%
13	90.00%	90.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%	63.85%	62.86%	62.00%	61.25%	60.59%
14		90.00%	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%	66.15%	65.00%	64.00%	63.13%	62.35%
15			90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%	68.46%	67.14%	66.00%	65.00%	64.12%
16				90.00%	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%	70.77%	69.29%	68.00%	66.88%	65.88%
17					90.00%	90.00%	77.27%	75.00%	73.08%	71.43%	70.00%	68.75%	67.65%
18						90.00%	90.00%	77.50%	75.38%	73.57%	72.00%	70.63%	69.41%
19							90.00%	90.00%	77.69%	75.71%	74.00%	72.50%	71.18%
20								90.00%	90.00%	77.86%	76.00%	74.38%	72.94%
21									90.00%	90.00%	78.00%	76.25%	74.71%
22										90.00%	90.00%	78.13%	76.47%
23											90.00%	90.00%	78.24%
24												90.00%	90.00%
25													90.00%

इसके अतिरिक्त, किसी निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई है, का अभ्यर्पण मूल्य भी देय होगा, जो निहित बोनस गुणित निहित बोनसों पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक के गुणनफल के बराबर है। ये कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित हुई है, और ये नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार हैं:

	निहित बोनस पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य गुणक												
	पॉलिसी अवधि--->												
पॉलिसी वर्ष	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%
4	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%
5	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%
6	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%
7	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%
8	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
9	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
10	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
11	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%
12	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
13	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
14		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
15			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
16				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
17					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
18						35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%
19							35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
20								35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
21									35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
22										35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
23											35.00%	30.00%	27.06%
24												35.00%	30.00%
25													35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई के मुख्य परिपत्र आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी परवर्ती परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक रूप से की जाएगी।

राइडर(रों), यदि कोई हो, पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कोई अन्य हितलाभ देय नहीं होगा।

11. पॉलिसी ऋणः

पॉलिसी अवधि के दौरान ऋण, अभ्यर्पण मूल्य के भीतर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगा:

i. पॉलिसी के अंतर्गत प्रथम पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

ii. पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में स्वीकृत अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

पॉलिसी की स्थिति	**दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान करने से पहले**	**दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियमों के भुगतान के बाद**
चालू पॉलिसियों के अंतर्गत	50%	75%
चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत	40%	65%

iii. इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक हर 12 महीने की अवधि के लिए जाने वाले ऋण हेतु पूरी लोन अवधि के लिए लागू लोन ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम कारोबारी तिथि के अनुसार 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध–वार्षिक में 3% जोड़कर उससे, या निगम के असंबद्ध सहभागी कोष पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उससे, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए, लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए 9.5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध–वार्षिक होगी। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में जब ब्याज सहित बकाया ऋण राशि अभ्यर्पण मूल्य

से अधिक हो जाती है, तो निगम ऐसी पॉलिसियों को बंद करने का अधिकारी होगा। जब ऐसी पॉलिसियाँ बंद की जाती हैं, तो उन्हें अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि, यदि कोई हो, के अंतर के भुगतान का अधिकारी होगा।

v. निर्गमित होने की स्थिति में, अर्थात अभ्यर्पण या परिपक्वता के द्वारा, कोई भी बकाया ऋण ब्याज सहित दावे की आय से वसूल किया जाएगा। हालाँकि, पॉलिसीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में, जब तक ऋण का पूरी तरह से पुनर्भुगतान नहीं हो जाता है, मृत्यु की तिथि तक ऐसे बकाया ऋण (ब्याज सहित मूल राशि) पर ब्याज किसी भी तत्काल हितलाभ (हितलाभों), अर्थात पॉलिसी के अंतर्गत देय राइडर हितलाभ (हितलाभों) और वार्षिक आय हितलाभ (हितलाभों) से वसूल की जाएगी। बकाया ऋण की मूल राशि किसी भी राइडर हितलाभ (हितलाभों), यदि पॉलिसी के अंतर्गत देय है, अन्यथा यह राशि अंतिम एकमुश्त भुगतान से वसूल की जाएगी।

12. कुछ घटनाओं में ज़ब्तीः

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन निहित है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी लाभ के सभी दावे समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

13. पॉलिसी की समाप्तिः

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के होने पर पॉलिसी तत्काल एवं स्वतः समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि, जिस पर एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि, जिस दिन पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभ का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो परिपक्वता की तिथि; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्त के भुगतान पर; या

ई) अनुच्छेद 11.वी में निर्दिष्ट ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में; या

एफ) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि पॉलिसी, जिसने चुकता

स्थिति प्राप्त नहीं की है, पुनर्चलन अवधि के भीतर पुनर्चलित नहीं की गई है; या

जी) मुक्त अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

एच) उपरोक्त अनुच्छेद 12 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

14. कर:

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित सांविधिक कर, यदि कोई हों, कर कानूनों के अनुसार होंगे और समय–समय पर कर की दर लागू होगी।

पॉलिसीधारक द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित प्रीमियमों (मूल पॉलिसी और राइडर(रों) (यदि कोई हो) के लिए) पर देय होगी, जिन्हें पॉलिसीधारक से देय प्रीमियमों के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए भुगतान की गई कर की राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

भुगतान की गई प्रीमियम (प्रीमियमों) (यदि कोई हो) और इस योजना के अंतर्गत देय हितलाभों पर आयकर लाभों/प्रभावों के बारे में, कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

15. निशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों व शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो आपत्तियों के कारण बताते हुए, पॉलिसी दस्तावेज़ की इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के भीतर निगम को पॉलिसी वापस लौटाई जा सकती है। पॉलिसी वापस मिलने पर, निगम पॉलिसी को निरस्त कर, बीमासुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर (राइडरों) (यदि कोई हो) के लिए) और चिकित्सीय जाँच के व्यय (विशेष रिपोर्टों, यदि कोई हो, सहित) और स्टाम्प ड्यूटी शुल्कों पर वहन किए गए व्यय काटने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस लौटा देगा।

16. अपवर्जन:

आत्महत्या:

i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति के नामिती या लाभार्थी को मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 80% को पाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीनों के भीतर आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम का 80%, या मृत्यु की तिथि तक उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो अधिक होगा, वह राशि देय होगी। बीमित व्यक्ति का नामिती व्यक्ति या लाभार्थी को इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का अधिकार नहीं होगा। यह अनुभाग चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हो चुकी पॉलिसी पर लागू नहीं होगा तथा ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

टिप्पणी: उपरोक्त प्रीमियम में कोई कर (यदि इसे स्पष्ट रूप से लिया गया है), अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर के अलावा कोई भी राइडर प्रीमियम(मों) (यदि कोई हो) शामिल नहीं होगा।

17. हितलाभ उदाहरण:

वितरण चैनल	ऑफलाइन
संभावित/पॉलिसीधारक का नाम:	
आयु:	
बीमित व्यक्ति का नाम:	
आयु:	35
पॉलिसी अवधि:	25
प्रीमियम भुगतान अवधि:	22
किस्त प्रीमियम की राशि:	9535.00 (मूल योजना के लिए किस्त प्रीमियम)
प्रीमियम भुगतान की विधि	वार्षिक

प्रस्ताव संख्या :	
उत्पाद का नाम:	एलआईसी का जीवन लक्ष्य
टैग लाइन:	एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना
विशिष्ट पहचान संख्या:	512N297V03
जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	शून्य
जीएसटी दर (द्वितीय वर्ष से आगे):	शून्य
टिप्पणी: जीएसटी दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी। वर्तमान में इसकी छूट दी गई है।	

इस हितलाभ उदाहरण को कैसे पढ़ें और समझें?

इस हितलाभ उदाहरण का उद्देश्य पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक प्रीमियम और हितलाभ को दो अनुमानित ब्याज दरों अर्थात 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष पर दर्शाना है।

कुछ हितलाभ गारंटीकृत हैं और कुछ हितलाभ परिवर्तनीय हैं, जिनका प्रतिफल आपके बीमाकर्ता के जीवन बीमा व्यवसाय के भावी प्रदर्शन पर आधारित है। यदि आपकी पॉलिसी गारंटीकृत हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर चित्रण तालिका में इन्हें स्पष्ट रूप से ''गारंटीकृत'' के रूप में चिह्नित किया जाएगा। यदि आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर दिए गए चित्रण में 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष की अनुमानित भावी निवेश प्रतिफल की दो अलग–अलग दरें दिखाई देंगी। प्रतिफल की ये अनुमानित दरें गारंटीकृत नहीं हैं और वे आपके द्वारा वापस प्राप्त की जाने वाली राशि की ऊपरी या निचली सीमा

नहीं हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य के निवेश प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

पॉलिसी के विवरण			
पॉलिसी विकल्प		मूल बीमित राशि रु.	2,00,000
बोनस प्रकार	साधारण प्रत्यावर्ती एवं अंतिम अतिरिक्त बोनस	मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी की शुरुआत में)[6] रु.	2,20,000

प्रीमियम सारांश			
	मूल योजना	**राइडर[1] रों**	**कुल किस्त प्रीमियम**
किस्त प्रीमियम, जीएसटी के बिना	9535.00		9535.00
किस्त प्रीमियम, प्रथम वर्ष जीएसटी के साथ	9535.00		9535.00
किस्त प्रीमियम द्वितीय वर्ष से जीएसटी के साथ	9535.00		9535.00

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का समा-पन)	वार्षिक[2] प्रीमियम (संचयी)	गारंटीकृत हितलाभ				गैर-गारंटीकृत हितलाभ @ 4% प्रति वर्ष			
			मृत्यु हितलाभ						
		गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य	मृत्यु के उपरान्त शेष अवधि में समान किश्तो में देय आय हितलाभ[5]	परिपक्वता तिथि पर देय एकमुश्त राशि	परिपक्वता हितलाभ	प्रत्यावर्ती बोनस	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य[3]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य[3]	"अभ्यर्पण हितलाभ"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9535	0	480000	220000	0	1400	0	2123	2123
2	19070	5721	460000	220000	0	2800	5721	4534	5721
3	28605	10012	440000	220000	0	4200	10654	7261	10654
4	38140	19070	420000	220000	0	5600	19934	10339	19934
5	47675	23838	400000	220000	0	7000	24927	13804	24927
6	57210	28605	380000	220000	0	8400	29925	17690	29925
7	66745	33373	360000	220000	0	9800	34934	22032	34934
8	76280	39483	340000	220000	0	11200	41300	26893	41300
9	85815	45937	320000	220000	0	12600	48026	32297	48026
10	95350	52719	300000	220000	0	14000	55103	38308	55103
11	104885	59847	280000	220000	0	15400	62554	44986	62554
12	114420	67302	260000	220000	0	16800	70255	52394	70255
13	123955	75104	240000	220000	0	18200	78318	60583	78318
14	133490	83231	220000	220000	0	19600	86730	69642	86730
15	143025	91708	200000	220000	0	21000	95522	79637	95522
16	152560	100507	180000	220000	0	22400	104673	90687	104673
17	162095	109657	160000	220000	0	23800	114222	102867	114222
18	171630	119128	140000	220000	0	25200	124150	116342	124150
19	181165	128953	120000	220000	0	26600	134499	131207	134499
20	190700	139097	100000	220000	0	28000	145254	147669	147669
21	200235	149596	80000	220000	0	29400	156470	165927	165927
22	209770	160411	60000	220000	0	30800	168126	186206	186206
23	209770	164124	40000	220000	0	32200	172837	200226	200226
24	209770	188793	20000	220000	0	33600	198873	216921	216921
25	209770	188793	0	220000	200000	35000	201043	235000	235000

टिप्पणियाँ:

इस चित्रण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और विभिन्न परिस्थितियों में हितलाभ के प्रवाह को कुछ हद तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके।

यह चित्रण एक मानक (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी के प्रारंभ में प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चयनित सभी राइडरों के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।

2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर आवृत्ति प्रभार, राइडरों के लिए भुगतान की गई प्रीमियमें और वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य देखें।

3. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक है, वह होगा। एसएसवी की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई के मुख्य परिपत्र, संदर्भ: संख्या: IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024, दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी आगामी परिपत्रों के अनुरूप की जाएगी। अभ्यर्पण मूल्य की गणना के लिए, यह माना जाता है कि बोनस इस उत्पाद के अंतर्गत निगम के अनुभव के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन परिणामों के नियमों और शर्तों के अनुसार घोषित किए जाने पर निहित होगा।

(राशि रुपए में)

गैर-गारंटीकृत हितलाभ @ 8% प्रति वर्ष				कुल हितलाभ (गारंटीकृत और गैर-गारंटीकृत हितलाभ सहित)			
				परिपक्वता हितलाभ		मृत्यु हितलाभ [4]	
प्रत्यावर्ती बोनस	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य[3]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य[3]	''अभ्यर्पण हितलाभ''	कुल परिपक्वता हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो, @4% (6+7+एफएबी)	कुल परिपक्वता हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो, @8% (6+11+एफएबी)	कुल मृत्यु हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो, @ 4% (5+7+एफएबी)	कुल मृत्यु हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) सहित, यदि कोई हो, @ 8% (5+11+एफएबी)
11	12	13	14	15	16	17	18
6400	0	2968	2968	0	0	221400	226400
12800	5721	6354	6354	0	0	222800	232800
19200	12946	10199	12946	0	0	224200	239200
25600	23018	14559	23018	0	0	225600	245600
32000	28814	19484	28814	0	0	227000	252000
38400	34641	25031	34641	0	0	228400	258400
44800	40510	31255	40510	0	0	229800	264800
51200	47788	38245	47788	0	0	231200	271200
57600	55487	46049	55487	0	0	232600	277600
64000	63618	54763	63618	0	0	234000	284000
70400	72223	64478	72223	0	0	235400	290400
76800	80803	75296	80803	0	0	236800	296800
83200	89797	87305	89797	0	0	238200	303200
89600	99225	100631	100631	0	0	239600	309600
96000	109142	115389	115389	0	0	241000	316000
102400	119553	131759	131759	0	0	242400	322400
108800	130525	149855	149855	0	0	243800	328800
115200	142087	169928	169928	0	0	245200	335200
121600	154307	192111	192111	0	0	246600	341600
128000	167244	216709	216709	0	0	248000	348000
134400	181019	243994	243994	0	0	249400	354400
140800	195681	274283	274283	0	0	250800	360800
147200	203956	299391	299391	0	0	252200	367200
153600	234873	328353	328353	0	0	253600	373600
160000	244793	380000	380000	235000	380000	255000	400000

4. किसी भी स्थिति में कुल मृत्यु हितलाभ, अर्थात कुल आय हितलाभ और परिपक्वता पर देय एकमुश्त राशि का योग भुगतान की गई कुल प्रीमियम (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो) के 105% से कम नहीं होगी।

5. पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में, बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तिथि के साथ या उसके बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से लेकर परिपक्वता की तिथि से पहले आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ तक मूल बीमा राशि के 10% के बराबर वार्षिक आय हितलाभ देय होगा। इसके अतिरिक्त, मूल बीमा राशि के 110% के बराबर राशि (जैसा कि स्तंभ संख्या 5 में उल्लेख किया गया है) किसी भी पॉलिसी वर्ष में मृत्यु होने पर परिपक्वता की नियत तिथि पर देय होगी।

6. किसी भी पॉलिसी वर्ष में मृत्यु होने पर परिपक्वता की तिथि पर देय एकमुश्त राशि वास्तव में पॉलिसी अवधि के अंत में ही देय होगी।

– बीमांकन जाँच से निकलने वाले अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, इस संबंध में एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

18. शिकायत निवारण प्रणाली:

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) मौजूद हैं। ग्राहक हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर जाकर जीआरओ के नाम और संपर्क जानकारी तथा शिकायत–संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के ज़रिए ग्राहक–अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली आरंभ की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/परिवाद दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति का पता लगा सकता है। ग्राहक अपनी सभी शिकायतों के निवारण के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा परित्याग के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति को भेजने का विकल्प है। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/ज़िला न्यायालय का न्यायाधीश हर दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीआई की:

यदि ग्राहक प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है या उसे 15 दिनों के भीतर हमसे कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वह निम्नलिखित में से कोई भी तरीका अपनाकर पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

i) टोल– फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीआई शिकायत कॉल सेंटर–(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल करना

ii) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेजना

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना

iv) कूरियर/पत्र के ज़रिए शिकायत भेजने का पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्तीय ज़िला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद–500032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिससे ग्राहक किफ़ायती और शीघ्र मध्यस्थता प्राप्त कर सकते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान समय–समय पर संशोधित रूप में लागू होंगे। इस प्रावधान का वर्तमान संस्करण इस प्रकार है:

(1) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आधार पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो।

(2) धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे लिखित में सूचित करना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I– इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, ''धोखाधडी'' शब्द का मतलब बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए उकसाने की मंशा से किए गए निम्नांकित में से किसी भी कार्य से है:–

ए) तथ्य के रूप में किसी ऐसे विचार का सुझाव देना जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

बी) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना जबकि उसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसकी वास्तविकता का विश्वास हो;

सी) कोई और कृत्य जो धोखा देने के लिए उपयुक्त हो; और

डी) ऐसा कोई कृत्य या भूल–चूक जिसे कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण II– ऐसे तथ्यों के बारे में मात्र मौन रहना जिनसे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन के प्रभावित होने की संभावना हो, तब तक धोखाधडी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए, तो बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट का यह कर्त्तव्य है कि वह बोलने से मौन रहे या जब तक कि उसका मौन रहना अपने आप में ही बोलने के समतुल्य न हो।

(3) उपधारा (2) में कोई भी बात शामिल होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता धोखाधडी के आधार पर किसी जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत नहीं करेगा, यदि बीमाधारक यह प्रमाणित कर सकता है कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य था या यह कि उस तथ्य को छिपाए जाने की कोई जान

बूझ कर मंशा नहीं थी या यह कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते कि धोखाधडी की स्थिति में यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो झूठ को गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर होता है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति, जो बीमा के अनुबंध की माँग करता है या बातचीत करता है, वह अनुबंध करने के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट समझा जाएगा।

(4)जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, इस आधार पर कि बीमाकर्ता के जीवन की प्रत्याशा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के किसी कथन को छिपाने का कथन प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज़ पर गलत ढंग से किया गया था जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुर्नचलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत करने की स्थिति में, न कि धोखाधडी के आधार पर, अस्वीकृत की तारीख तक पॉलिसी पर लिए गए प्रीमियम बीमित व्यक्ति या विधिक प्रतिनिधियों या नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को ऐसे अस्वीकृति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अदा किए जाएँगे।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तथ्य का मिथ्या कथन या छिपाया जाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रमाणित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता उक्त तथ्य से अवगत होता, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

(5)इस धारा में शामिल कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से रोक नहीं सकेगी यदि वह ऐसा करने का हकदार हो, और किसी भी पॉलिसी को सिर्फ़ इस कारण प्रश्नगत किया गया नहीं समझा जाएगा जबकि पॉलिसी की शर्तें बाद में यह प्रमाणित किए जाने पर ठीक कर ली गई हैं कि बीमित व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41):

1) कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में कोई

बीमा लेने या नवीकृत करने या जारी रखने हेतु, प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी भी रियायत की अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा और न ही पॉलिसी लेने या नवीकृत करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति कोई भी रियायत स्वीकार करेगा, सिवाए उस रियायत के जिसकी अनुमति बीमाकर्ता के प्रकाशित सूचीपत्रों या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएँ जो एलआईसी पर लागू हैं, समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार लागू होंगी।

इस उत्पाद विवरणिका में इस योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज़ देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

नकली फोन कॉल और फर्जी/धोखाधड़ी वाले प्रस्तावों से सावधान रहें

आईआरडीएआई या इसके अधिकारी बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस की घोषणा करने या प्रीमियम का निवेश करने, राशि वापस करने जैसी बीमा व्यवसाय की किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होते हैं। ऐसे फ़ोन कॉल प्राप्त करने वाले पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 सितम्बर, 1956 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के समस्त बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचने और उन्हें बीमित घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से जीवन बीमा का दूर-दूर तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार करना था। भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी प्रमुख जीवन बीमाकर्ता बना हुआ है और अपने पिछले रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक नए विकास पथ पर तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहा है। छः दशकों से भी ज़्यादा समय से अपने अस्तित्व में, एलआईसी ने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में दृढ़ता से अपना उत्तरोत्तर विकास किया है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

केंद्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512